कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री संजय कुमार शर्मा, व्याख्याता (वाणिज्य) सूरजमल भूटोरिया राबाउमावि लाड़नूं जिला नागौर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16968/2018 संजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2018 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर दो सप्ताह के भीतर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

याचिकार्थी के अनुसार वह वर्तमान में निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार के अन्तर्गत श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है, जबकि विभाग को इसकी कोई सूचना नहीं है। उक्त श्री शर्मा बिना सक्षम स्वीकृति/कार्यमुक्ति के विद्यालय से पिछले 4 माह से अनुपस्थित चल रहे हैं। विभागीय आदेश दिनांक 05.10.2018 द्वारा याचिकार्थी की प्रतिनियुक्ति सीबीइओ कार्यालय, नागौर में आर.पी. के पद पर एक वर्ष के लिए की गई।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के कार्यग्रहण करने से पूर्व अपनी सेवा पुस्तिका में समस्त इन्द्राज किये जाने एवं नियमानुसार अन्यत्र डयूटी के सम्बन्ध में मिलने वाला भत्ता आदि तथा वेतन एरियर के लगभग 6 से 7 लाख रूपये जमा करवाये जाने एवं वर्तमान में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत निर्वाचन सम्बन्धी कार्य से कार्यमुक्त नहीं होने की अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। श्री संजय कुमार शर्मा के विरूद्ध पूर्व विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नरसिंहपुरा, माझूवास जिला श्रीगंगानगर में कार्यरत रहने के दौरान बार–बार विभिन्न प्रकरणों में शिकायत मिलने के कारण श्री शर्मा को प्रशासनिक कारणों से पदस्थापन प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर किया जाकर विभागीय जांच कार्यवाही अमल में लायी जानी प्रस्तावित की गई। तत्पश्चात् श्री शर्मा का पदस्थापन सूरजमल भूटोरिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाड़नूं जिला नागौर किया गया। श्री संजय कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना–पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान, एरियर आदि के बारे में निवेदन किया गया जबकि प्रधानाचार्य, सू.भू. राबाउमावि लाडनूं जिला नागौर के अनुसार श्री शर्मा लम्बे समय से विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं।

उक्त विद्यालय में श्री शर्मा, व्याख्याता (वाणिज्य) की कार्यशैली एवं साथी कार्मिकों के साथ उनका व्यवहार उचित नहीं होने, साथ ही उनके द्वारा विद्यालय में संस्था प्रधान एवं स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने तथा बिना उचित सूचना के विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने की शिकायत के मद्देनजर श्री शर्मा का उक्त व्यवहार राजकीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है। याचिकार्थी के विरूद्ध बिना सूचना अनुपस्थित रहने, राजकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण पूर्व में एक विभागीय जांच विचाराधीन चल रही है। उक्त समस्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्री संजय कुमार शर्मा, व्याख्याता (वाणिज्य) द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण श्री शर्मा का अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूंचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/सी–2/कोके/16968/2018 दिनांक 5/12/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) नागौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जोधपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)